आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–04 / 2024.....दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर फुलवारी शरीफ, पटना के पत्रांक–ATI/7689 दिनांक–04.11.2023 द्वारा निर्माणाधीन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया का कार्य धीमा हैं । निर्माणाधीन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया के निरीक्षण की कमी के चलते सभी भवनों में सीलन की बहुत समस्या आ रही है । सीवेज की नालियाँ एवं STP का काम पूर्ण नहीं होने के कारण पूरा परिसर बहुत बुरी तरह से Stink कर रहा है, जबकि वर्त्तमान में प्रशिक्षु बिपार्ड, गया में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसलिए संबंधित वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० से कारण पृच्छा करते हुए वास्तुविद् पर पाँच लाख की कटौती का आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है ।

इस संबंध में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी विभिन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–5268(भ)अनु० दिनांक–11.07.2024, 5707(भ) दिनांक–26.07.2024 एवं पत्रांक–8355(भ) दिनांक–17.10.2024 एवं पत्रांक–53(भ)अनु० दिनांक–02.01.2025 द्वारा वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० पर कार्रवाई करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया से अनुरोध किया गया था । जिसका जवाब अप्राप्त ।

दिनांक–20.02.2025 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक में पुनः इस मामलें पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया को स्मार पत्र देने का निर्णय लिया गया है। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2357(भ) दिनांक–11.03.2025 द्वारा स्मारित किया गया । इसी बीच अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया का पत्रांक–450अनु0 दिनांक–10.03.2025 द्वारा जवाब उपलब्ध कराया गया है ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–27.05.2025 को हुई जिसमें अधीक्षण अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा महानिदेशक बिपार्ड, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया का पत्रांक–222 दिनांक–27.12.2024 द्वारा वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० को ₹5,00,000 / –(पाँच लाख)रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया हैं । अतएव समिति द्वारा इस मामले में मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को नियमानुकूल कार्रवाई करने के निदेश पर निर्णय लिया गया है। तदालोक में विभागीय पत्रांक–5326(भ) दिनांक–12.06.2025 द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पत्र प्रेषित किया गया ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–26.11.2025 को हुई जिसमें मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन की मांग करने

का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–11388(भ) दिनांक–18.12.2025 द्वारा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पत्र प्रेषित किया गया। जिसका जवाब अप्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–17.02.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्मारित करने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–2386(भ) दिनांक–11.03.2026 द्वारा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्मार पत्र प्रेषित किया गया। जिसका जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–28.04.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन पर विचार किया गया। विचारोपरांत मुख्य अभियंता(द०) से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग करने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–4405(भ) दिनांक–15.05.2026 द्वारा मुख्य अभियंता(द०) को पत्र प्रेषित किया गया । जिसका जवाब अप्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–07.07.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा मुख्य अभियंता(द०) को स्मार पत्र देने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–6743(भ) दिनांक–21.07.2026 द्वारा मुख्य अभियंता(द०) को पत्र प्रेषित किया गया । जिसका जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–06.10.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा मुख्य अभियंता(द०) से प्राप्त जवाब यथा "विषयांकित निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया द्वारा वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० के विपत्र से राशि ₹5,00,000/–(पाँच लाख) रूपये का अर्थदण्ड की कटौती की गयी है" की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा उक्त मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया ।

अतएव कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया द्वारा वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० के विपत्र से उक्त मामले में ₹5,00,000/–(पाँच लाख) रूपये की कटौती की गयी है। अतः इस मामले को संचिकास्त किया जाता हैं ।

ह0/–

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–04/2024.....पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–वास्तुविद् मेसर्स सेन एण्ड लाल कन्सल्टेंट प्रा०लि० द्वितीय तल, सुदामा भवन, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–04 / 2024.....पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–04 / 2024.....10200(A) पटना,दिनांक–29/10/26

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.10.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव